



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक:- 586 / लेखा / 2017-18

दिनांक:-26.03.2018

-:कार्यालय-आदेश:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय दरों के निर्धारण हेतु प्राधिकरण की 110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.02.2018 द्वारा निम्नानुसार दरों का अनुमोदन किया गया है। निर्धारित की गयी आवासीय दरें दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक प्रभावी रहेंगी।

क्र०सं०	योजना का नाम	आवासीय दर (प्रतिवर्ग मीटर) वित्तीय वर्ष 2018-19
1	वेदव्यासपुरी	16800/-
2	शताब्दी नगर	11500/-
3	सैनिक विहार	12300/-
4	रक्षापुरम्	12300/-
5	मेजर ध्यानचन्द नगर	13200/-
6	लोहिया नगर	11700/-
7	श्रद्धापुरी फेस-2	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
8	डिफेन्स एन्क्लेव	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
9	गंगा नगर	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
10	श्रद्धापुरी फेस-1	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
11	पल्लवपुरम फेस-1	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
12	पल्लवपुरम फेस-2	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
13	पाण्डव नगर	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
14	बेगम बाग	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
15	मोहनपुरी	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
16	आलोक विहार	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
17	सूरजकुण्ड	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट

उपर्युक्तानुसार प्राधिकरण की योजनायें, जिनमें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित आवासीय सर्किल दरें योजनाओं की आवासीय दरें निर्धारित हैं, इन योजनाओं में आवासीय दरों का आरक्षित मूल्य तय करने में जिलाधिकारी, मेरठ के सर्किल रेट पुस्तिका के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार निर्धारित आवासीय दरों के आधार पर शेष अन्य सम्पत्तियों यथा व्यवसायिक, शैक्षिक, औद्योगिक एवं कार्यालयों आदि की दरें, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार निर्धारित की जायेगी।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ

2. सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
3. वित्त नियंत्रक
4. मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक
5. वित्त एवं लेखाधिकारी/समस्त प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) को समस्त सम्पत्ति लिपिकों को प्रति प्राप्त कराने हेतु/प्रभारी अधिकारी (बल्क एवं व्यवसायिक)/प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर)/श्री शरद कुमार, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को प्राधिकरण की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त लेखाकार/सहायक लेखाकार
7. प्राधिकरण सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।



सचिव,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

